जागरूक बनो **सावधान रहो** **शिकायत करो**

CUTS International

ग्राहक सुविधा केन्द्र, जयपुर

ग्राहक सुविधा केन्द्र

ग्राहक सुविधा केन्द्र उपभोक्ता मामले मंत्रालय, भारत सरकार की एक नई पहल है, जिसके अन्तर्गत एकल खिड़की प्रणाली द्वारा उपभोक्ता कल्याण का कार्य किया जाता है।

राजस्थान में ग्राहक सुविधा केन्द्र ने 01 जुलाई 2015 से कार्य करना शुरू किया। जिसका प्रबन्धन 'कट्स' संस्था, जयपुर द्वारा किया जा रहा है।

यह राज्य हेल्पलाईन के महत्वपूर्ण अंग तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाईन के एकीकृत मंच के अभिन्न अंग के रूप में कार्य कर रहा है। जहां प्रशिक्षित लोगों द्वारा स्थानीय भाषा, अंग्रेजी एवं हिन्दी में जानकारी एवं सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र के द्वारा निम्न सुविधाएं नि:शुल्क प्रदान की जा रही हैं।

- उपभोक्ता परामर्श
- उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण
- शिकायत पत्र तैयार करवाना
- शिकायत निवारण तंत्र से अवगत कराना
- उपभोक्ता संबंधी अन्य जानकारी उपलब्ध कराना
- उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना
- उपभोक्ता मामले की पैरवी करना
- उपभोक्ताओं को खरीदारी से पहले और बाद में सलाह देना
- भ्रामक विज्ञापन से पीड़ित उपभोक्ताओं को सलाह व सहायता

ग्राहक सुविधा केन्द्र को डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय की वेबसाइट से जोड़ा गया है।

भ्रामक विज्ञापन के विरूद्ध शिकायत दर्ज करने हेतु 'ग्राहक सुविधा केन्द्र' को GAMA Web Portal (http://gama.gov.in/Default.aspx) से जोड़ा गया है। जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी भ्रामक विज्ञापन के विरूद्ध अपनी शिकायत ऑनलाईन दर्ज करवा सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

सम्पर्क माध्यम

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)

डी–218–ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

टेलीफोन/फैक्सः 91.141.4015395

ई–मेलः gsk@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org/cart/Grahak_Suvidha_Kendra.htm

फेसबुकः Grahak Suvidha Kendra-GSK Jaipur

उपभोक्ता अपनी शिकायत ऑनलाईन भी दर्ज करा सकते हैं, जिसका पता है:

https://goo.gl/ymBMn5